कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

व्यापार सूचना (TR No\ 2023-24\ 0002)　　　　　　　　01 जनवरी, 2024

वर्ष 2023-24 हेतु टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) योजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी का निर्यात

सार्वजनिक सूचना सं. 29/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 के अनुसार, वर्ष 2023-24 (अक्टूबर, 2023 से सितम्बर, 2024) के लिए यूरोपीय संघ (ई.यू.) को टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत चीनी के **1891 MT** की शेष मात्रा का आवंटन किया गया था। वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. 3/2015-20 दिनांक 20/04/2015 और अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 7/09/2015 के माध्यम से अधिसूचित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन किया जाना अपेक्षित है।

तदनुसार, कोटा आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए व्यापार सूचना सं- TR No \2023-24/0001 दिनांक 14/09/2023 जारी किया गया था और आवेदकों को 3950 मीट्रिक टन की मात्रा आवंटित की गई थी। अब यह व्यापार सूचना **1891 मीट्रिक टन** की शेष मात्रा के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात हेतु कोटा के आवंटन के लिए जारी किया गया है। कोटा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित किया जाएगा:

1. यह कोटा यूरोपीय संघ (ई.यू.) को टी.आर.क्यू. मदों के निर्यात के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जाएगा।

2. यूरोपीय संघ को चीनी के अधिमान्य निर्यात के लिए , यदि आवश्यक हो, तो मूल प्रमाण पत्र, इकाई और मात्रा के संबंध में एपीडा की अनुशंसा पर अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। यूरोपीय संघ के लिए चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकता , यदि कोई हो, का पालन किया जाना जारी रहेगा।

3. निर्यातकों को एपीडा, नई दिल्ली को वास्तविक निर्यात (अर्थात मात्रा , मूल्य, गंतव्य, विदेशी खरीदारों आदि का नाम और पता) का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

तदनुसार, टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात के लिए **1891 MT** के कोटा के आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात के लिए कोटा आवेदन/प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

(i) अनुलग्नक “I” में प्रारूप के अनुसार कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन एपीडा नई दिल्ली में दिनांक **18/01/2024** को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे और उसी दिन उपस्थित होने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं के लिए 2.30 बजे खोले जाएंगे। आवेदन मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएंगे , उसके ऊपर “टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने हेतु आवेदन” लिखा हो और वह लिफाफा श्री मान प्रकाश विजय, उप-महाप्रबंधक, एपीडा, एन.सी.यू.आई. ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग हौज खास, नई दिल्ली -110016 को संबोधित हो।

(ii) संवीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा और पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाण-पत्र (आर.सी.ए.सी.) 3 कार्य दिवसों में जारी किया जाएगा।

(iii) अनुलग्नक “II” के अनुसार प्रारूप में बैंक गारंटी सहित आवेदन किया जाएगा, जो भारतीय रुपए में कोटा मात्रा के 5% के बराबर राशि के लिए आवेदित एफ.ओ.बी. मूल्य पर होगी। बैंक गारंटी 31 दिसंबर, 2025 तक दावे की तारीख के साथ 31 दिसंबर, 2024 तक वैध होगी।

(iv) आवेदित मात्रा के लिए 11.80 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जी .एस.टी. सहित) के प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान आवेदकों द्वारा किया जाएगा। यह राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एपीडा बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी:

i) खाता संख्या- 57022180304

ii) आईएफएससी- SBIN0007407

iii) बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक

(v) उपलब्ध कोटा मात्रा को प्रति मीट्रिक टन अमरीकी डालर में निर्यात के लिए उच्चतम एफ.ओ.बी. मूल्य के आधार पर आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। आवेदक द्वारा उच्चतम एफओबी मूल्य कोट करते समय आवेदन की गई मात्रा उपलब्ध कोटा से कम होने की स्थिति में , शेष राशि मूल्य कोटेशन के क्रम में अन्य आवेदकों को आवंटित की जाएगी। यदि एक से अधिक

आवेदक एक ही एफ.ओ.बी. मूल्य जमा करते हैं , तो उपलब्ध कोटा का आवंटन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

(vi) एक बार आवेदन जमा होने और पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र (आर.सी.ए.सी.) जारी होने के बाद निर्यातक / आयातक के नाम और एफ.ओ.बी. मूल्य में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) आर.सी.ए.सी. को 30 सितंबर , 2024 तक वैधता अवधि के साथ जारी किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर 2024 से पहले कस्टम क्लीयरेंस के लिए खेप यूरोपीय संघ (ई.यू.) पोर्ट पर पहुंच जाए।

(viii) निर्यातक को अनुलग्नक “III” में प्रारूप के अनुसार जारी किए गए पूर्ण मात्रा के संबंध में विशिष्ट आर.सी.ए.सी. की वैधता अवधि की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक आर.सी.ए.सी. के एवज में वास्तविक निर्यात विवरण को प्रस्तुत करना होगा। आर.सी.ए.सी. की पूर्ण मात्रा के निर्यात को पूरा करने में असमर्थता पर एपीडा द्वारा बैंक गारंटी लागू करने के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है।

विनीता सुधांशु
महाप्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01/01/2024
(फाइल नं. सीआरएल- 2023-24-000041 से जारी)

अनुलग्नक - I

टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात हेतु कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम/पता	
2.	टेलीफोन/ई-मेल	
3.	एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं.	
4.	आईईसी कोड सं.	
5.	मीट्रिक टन में आवेदित मात्रा	
6.	यू.एस.डी./मीट्रिक टन में एफ.ओ.बी. मूल्य	
7.	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी राशि (आवेदित मात्रा के कुल एफ.ओ.बी. मूल्य का 5%)	
8.	कार्य-निष्पादन गारंटी की तिथि एवं वैधता (आवेदन तिथि से एक वर्ष के लिए)	
9.	आयातक का नाम एवं पता (अनुबंध की प्रति और पुष्ट आदेशों की प्रति के साथ)	
10.	भारत में शिपमेंट पोर्ट	
11.	यूरोपीय संघ (ई.यू.) में गंतव्य पोर्ट	

घोषणा:

(i) हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे आवेदन में दी गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार सही है।

(ii) हम एपीडा द्वारा जारी आरसीएसी की वैधता के भीतर हमें आवंटित मात्रा का निर्यात करने का वचन देते हैं।

(iii) हम प्रमाणित करते हैं कि हम यूरोपीय संघ को चीनी के संबंध में की गुणवत्ता की आवश्यकताओं से अवगत हैं जिसमें हमने टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को निर्यात करने की योजना बनाई है और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई अवमानक उत्पाद हमारे द्वारा निर्यात नहीं किया जायेगा।

(iv) हम जानते हैं कि वैधता अवधि के भीतर आर.सी.ए.सी. के अनुसार एपीडा द्वारा आवंटित कोटा मात्रा की शिपमेंट न होने की स्थिति में, एपीडा को हमारे द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर –

नाम और पदनाम-

निर्यातक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Annexure–II

Format for performance bank guarantee (onr s.100/-Stamp Paper)

Subject:performance bank guarantee for export of sugar to e.U.under trq

WHEREAS the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority mentioned as APEDA hereinafter, through its Trade Notice dated ……has invited applications from the exporters for obtaining quota for export of sugar to E.U.under TRQ as pertheconditions prescribed in thesaid Trade Notice, which terms and conditions we are fullyawareandinknowof,andwhereasm/s........ ,theexporter,having Theirofficeat……….haveundertakentoexport……..mtofsugartoe.U.undertrqat Thefobindiapriceofusd……permt.

AND WHEREAS the exporter is required to furnish alongwith the application. Performance Bank Guarantee equivalent to 5% of the total FOB value of the quantity applied for in Indian Rupees in terms of the above said Trade Notice.

AND WHEREAS the exporter is required to export of Sugarwithin period of the validitygiven in the Registration-cum-Allocation Certificate (RCAC) to be issued by APEDA.

1. We(nameandaddressofascheduledindianbank)hereinaftercalled“THEBANK”do Herebyundertakeandpromisetopaytheapeda,newdelhianamountofrs. .... /- (Rupees…………………………..……….) in the event of failure of the exporter (i) tofulfill any condition of the RCAC or (ii) to fulfill the obligation to export the quantityallocated to M/s. ……………………….….within the stipulated time or according to the prescribed terms and conditions whether the shipment is in part or full.

2. Our liability under this guarantee shall fall due immediately on a demand made in this regard by apedawithinthe prescribed period and notwithstandingany dispute or objection raised by the exporter regarding their liability to pay for non performance of the commitments made by the said exporter. We do hereby undertake and promise to pay withoutdemurandondemandbyapeda,newdelhi,thesumofrs.
(Rupees
…..............................) inrespectofwhich,thesaidexporterfailstofulfillthesecommitments Andthatsuchclaimwillberestricteduponthefullvalueofthisguaranteei.e.Rs ………….(Rupees………………………)iftheexportshipmentisnotcompletedinfull.

3. We,.. Bankfurtheragreethatthisguaranteeshall Remain in full forceand effect for oneyear from thedate of applicationby exporterfor issue of thercacby apedaand that it shall continue to be enforceable till all the amounts due to APEDA have been fully paid, discharged and Chairman, APEDA or his any authorized representative certifies that the terms and conditions of the said Order have been fully and properly carried out by the said exporter. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing upto 6 months from the date of expiry of this guarantee in respect of

Non-performanceregardingexportofsugartoe.U.undertrq,weshallbedischarged from all liabilities under this guarantee further.

4. We, the ……………………………………………………Bank further agree that the APEDA shall have the fullest liberty without consent and without affecting in any mannerour obligation hereunder, to vary any of the terms and conditions of the said Trade Notice from time to time to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the APEDA against the said exporter and to forebear or enforce any of the terms and conditions of the said Order and we shall not be relieved from our liability by reasonsofanysuchvariationorextensionbeinggrantedtothesaidexporterorforbearance act of omission on thepart of the APEDA to thesaid exporter or by anysuch matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties but for the said reservation would relieve us from the liability.

5. We,…………………………………Bank further agree that the decision of Chairman, APEDA as to the default on the part of the exporter and the amount payable by us shall be final and binding on us and on demand made by the APEDA we shall immediately and withoutdemurwithin 10 dayspaythesame totheagricultural and Processed Food Products Export Development Authority, 3rd Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi – 110016 , byway of Demand Draft/Pay Orderdrawn in its favour.

6. We shall be relieved of and discharged from all liabilities under this guarantee only on the exporter having fulfilled all his obligations and exported the entire quantity of RCAC by the last day of shipment as prescribed by the APEDA in this particular case and submitted satisfactory proof of shipment and realization of export value by the Bank to the full satisfaction of the APEDA in this regard within the prescribed time whose decision in this connection shall be final and binding.

7. This guarantee will not be revoked by any change in the constitution of the Bank and/or the exporter.

Datedat……………..……………..this………………………….dayof .... 20.

In presence of ___________________

(Signatureofthe Guarantor)

Signatureofapplicants (tobesignedbytheproprietor/managingdirector/ authorizedsignatory/managingpartnerofth eunit showing his Designation as such)

Date:

अनुलग्नक III

टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात के विवरण की प्रस्तुति का प्रारूप

निर्यातक का नाम :

एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं. :

आर.सी.ए.सी. सं. और तिथि :

मीट्रिक टन में मात्रा	**कन्साइनी/ आयातक**	**भार (लेडिंग) बिल की तिथि**	**एफ.ओ.बी. मूल्य यूएसडी**	**शिपमेंट पोर्ट**	**गंतव्य पोर्ट**

प्राधिकारी हस्ताक्षरी:

नाम एवं पद:

तिथि:

स्थान:

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।